श्री जगपाल सिंह : बराबर यदि आप चाहते हैं, तो आपको कहना चाहिये था कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को, माइनोरिटीज को, वीकर सैक्शन को समता दे दी दीजिये। यदि आप इन मैं लोगों को समता दे देते तो फिसी कमीशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपोजीशन के लोग भी डटकर कहते कि शैड्यूल्ड कास्टप और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की जरूरत नहीं है, लिंगविस्टिक कमीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब को बराबर का दर्जा देना चाहते है। इसलिये इन कमीशन की कोई जरूरत नहीं है।

अंत में मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि वे अमेंडमेंट बिल को स्वीकार करें। यदि आप वास्तव में देश की 80 प्रतिशत जनता को ऊपर उठाना चाहते है, गरीबी मिटाना चाहते हैं, देश की एकता को मजबूत करना चाहते है तो इसको एक्सेप्ट करिये। इस देश की नदियां, पहाड, खान इस देश के लोगों के लिये है न कि 11 प्रतिशत लोगों के लिये हमारे पहाड़ और नदियां, सागर इस देश के लोगों के लिये हैं, लोग इनके लिये नहीं है। लोग इनके लिये तभी हो सकते है, तभी इनके लिये लड़ सकते हैं जब उनको यह विश्वास हो कि खेत में काम करने के बाद उनको रोटी मिलेगी, सागर में काम करने के बाद उनको कपड़ा मिलेगा। तभी वे हिमालय की रक्षा करेंगे जब उन्हें विश्वास होगा कि उनके पेट की भूख मिटेगी।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने साथियों से कहें कि वे इस अमेंडमेंट को युनेनिमसली पास करवाएं और साबित करें कि रुलिंग पार्टी के लोग सेक्युलर है, कम्युनल नहीं है, जातिवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर इसको पास नहीं करते है तो मैं समझूंगा कि ये सब दुर्गणी लोग है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jagpal Singh, while speaking, used an unparliamentary expression which I do not want to mention. I shall go through the records. I do not want to use that unparliamentary expression.

Now, the Private Members' Business is over. Shri Laskar to lay the papers on the table.

PAPERS LAID ON THE TABLE—Contd.

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: *rose.*

श्री हरीश कुमार गगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलने से रह गया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot object to the laying of the papers on the table of the House by a Minister because I cannot stop him. You can object to it only under rule 305B(1)(a), namely, whether there has been compliance of the provisions of the Constitution, Act, rule or regulation under which the papers has been laid. But under rule 350C, here, you cannot object to his laying the papers. I am not permitting you. The Minister may lay it on the table.

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गगवार : यह इतनी जल्दी आ गया तो हम कैसे कर सकते हैं? (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You lay it on the table of the House.

श्री हरीश कुमार गगवार : आपने कारपोरेशन को 6 महीने के लिये भंग करने की अवधि बढ़ा दी...। (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You do not want to obey the rules at all.

Mr. Laskar, you lay it on the table of the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): Sir, I lay on the Table-

(1) A copy of Notification No. U-11013/3/82-Delhi (Hindi and English versions) published in Delhi Gazette dated the 8th October, 1982 making amendment to the Order dated the 11th April, 1980 so as to extend the period of supersession of the Municipal Corporation of Delhi by six months more from 11th October, 1982, under sub-section (3) of section 490 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

(2) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for the issue of the Notification.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 11 A.M. on the 11th October, 1982.

1802 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, October 11, 1982/Asvina 19, 1904 (Saka).

(MGIPVD M- 2302 LS-